मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
चतुर्थ–पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल–462016
फोन–0755–2463585 2430154, फैक्स– 2430158

सार्वजनिक सूचना
(याचिका क्रमांक 03/2010)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ आधार संबंधी निबंधन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2009 (जी–35 वर्ष 2009), 9 दिसंबर–2009 को अधिसूचित किया गया है जो कि 22 जनवरी 2010 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है । मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर (आगे ''याचिकाकर्ता'' उल्लेखित) कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्गमित है एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत जबलपुर, रीवा, सागर एवं शहडोल राजस्व संभागों में विद्युत के वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के लिये माने हुए अनुज्ञप्तिधारी हैं। कंपनी (याचिकाकर्ता) ने माननीय आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष–10–11 से वित्तीय वर्ष 2012–13 तक की सकल राजस्व आवश्यकता की पूर्ति के लिये 05.01. 2010 को याचिका दायर की है तथा वित्तीय वर्ष–10–11 के लिए विद्युत के वितरण एवं खुदरा आपूर्ति हेतु दर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह याचिका विद्युत अधिनियम की धारा 62 एवं 64 सहपठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 की कंडिका 31 एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिए जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 के अंतर्गत दायर की गई है।

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. की याचिका में दी गई जानकारी के मुख्य बिन्दुओं का सारांश निम्न तालिकाओं में दिया गया हैः–

तालिका–निम्न वर्षो में विक्रय एवं राजस्व मांग

	2009–10 (आंकलित)		2010–11 (प्रक्षेपित)	
	विक्रय	राजस्व	विक्रय	राजस्व
	मि.यू.	करोड़ रू. में	मि.यू.	करोड़ रू. में
निम्नदाब उपभोक्ता श्रेणी				
एलव्ही–1, घरेलू उपभोक्ता	1528.30	512.57	1803.22	615.53
एलव्ही–2, गैर घरेलू उपभोक्ता	319.37	176.24	349.24	185.92
एलव्ही–3, जलप्रदाय संयंत्र एवं पथ प्रकाश	180.92	62.29	198.07	67.67
एलव्ही–4, निम्नदाब उद्योग	201.62	93.39	216.36	98.87
एलव्ही–5, निम्नदाब कृषि	1571.94	429.71	1649.17	468.87
योग निम्नदाब	**3802.14**	**1274.20**	**4216.07**	**1436.86**
उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणी				
एचव्ही–1, रेलवे कर्षण	439.83	210.66	457.55	218.25
एचव्ही–2, कोयला खदाने	517.46	252.12	522.63	257.14
एचव्ही–3, औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक	1108.38	526.01	1160.28	550.58
एचव्ही–4, मौसमी (सीजनल)	3.06	1.99	3.21	1.77
एचव्ही–5, सिंचाई एवं सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्र	61.20	23.35	63.10	23.52
एचव्ही–6, विपुल आवासीय उपयोगकर्ता	303.49	111.26	317.42	121.78
एचव्ही–7, छूट प्राप्त श्रेणियों को विपुल विद्युत प्रदाय	447.33	159.47	491.79	170.14
योग उच्चदाब	**2880.75**	**1284.84**	**3015.97**	**1343.20**
योग उच्चदाब+निम्नदाब	**6682.89**	**2559.05**	**7232.04**	**2780.05**

तालिका 2 ऊर्जा संतुलन

ऊर्जा संतुलन	वित्तीय वर्ष–09–10 (आंकलित)	वित्तीय वर्ष 10 –11 (प्रक्षेपित)
निम्नदाब विक्रय (एम.यू.)	3802.14	4216.00
उच्चदाब विक्रय (एम.यू.)	2880.75	3016.00
कुल विक्रय (एम.यू.)	**6682.89**	**7232**
वितरण हानि :	36.96%	32.50%
वितरण हानि (एम.यू.)	3918.30	3475.00
पारेषण वितरण इनपुट	**10601.19**	**10707.00**
पारेषण हानिः	4.12%	4.09%
पारेषण हानि (एम.यू.)	455.64	457.00
उत्पादन पारेषण स्तर पर इनपुट (एम.यू.)	**11056.83**	**11164.00**
बाहरी हानियॉ	176.00	260.00
कुल यूनिट कय (एम.यू.)	**11232.83**	**11423.00**

तालिका–3 राजस्व आय, सकल राजस्व आवश्यकता एवं शुद्ध राजस्व अंतर

क.सं	विवरण	वि.वर्ष 09–10 (आंकलित)	वि.वर्ष 10–11 (प्रक्षेपित)
क	राजस्व		
1	*बिजली के विकय से राजस्व*	2,559.05	2,780.05
2	*अन्य आय*	19.78	22.75
	कुल राजस्व अथवा आय	**2,578.83**	**2,802.80**
ख	व्यय		
1	*सभी श्रोतों से बिजली का कय*	2435-90	2592-21
2	*पारेषण प्रभार (अन्तर्राज्यीय)*	53-01	53-01
3	*पारेषण प्रभार (अन्तःराज्यीय)*	353-88	411-75
4	*मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय*	34-26	43-87
5	*कर्मचारी व्यय*	544-10	569-60
6	*प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय*	81-73	92-00
7	*अन्य डेबिट, बट्टे खाते,*	19-37	21-22
8	*अन्य व्यय*	(-)4-04	(-)4-04
9	*अशोहय और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान*	25-59	27-80
10	*घटाना : पूँजीकृत ब्याज*	13-47	13-88
11	वित्तीय वर्ष 2006 में विद्युत कय की राशि जो आयोग के समक्ष विचाराधीन है	-	118-02
12	*वर्ष 2007–08 के अंतर की प्रत्युत्सर्जित राशि*	-	273-53
13	*वर्ष 2008–09 के अंतर की प्रत्युत्सर्जित राशि*	-	433-83
14	***अवक्ष्यण ब्याज तथा वित्त प्रभार के पूर्व लाभ***	(951.50)	(1816.11)
15	*अवक्ष्यण तथा संबंधित बट्टे*	106.71	168.87
16	*ब्याज तथा वित्त प्रभार के पूर्व लाभ*	(1058.21)	(1984.98)
17	*ब्याज तथा वित्त प्रभार*	121.17	165.57
18	*घटाना : पूजीकृत ब्याज*	35.58	50.38
19	*कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार*	85.59	115.20
20	*कुल व्यय*	3722.63	4930.74
21	*कर के पूर्व लाभ हानि*	(1143.80)	(2100.18)
22	*आय कर*	00	00
23	*कर के पश्चात् लाभ हानि*	(1143.80)	(2100.18)
24	*पूंजी पर प्रतिलाभ*	82.72	123.58
25	***कुल राजस्व लाभ हानि***	**(1226.53)**	**(2223.75)**

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वर्ष 2010–11 में होने वाले राजस्व अन्तर की राशि को आंशिक रूप से पूर्ति करने हेतु रू. 603.31 करोड़ के दर पुनरीक्षण को प्रस्तावित किया है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि वर्ष 2010–11 में उपभोक्ताओं का दर वृद्धि आघात से बचाने के लिए शेष राजस्व अन्तर की राशि को ' नियामक अस्तियां ' माना जावे तथा इसे वर्ष 2011–1 से आरम्भ कर अगले 5 वर्ष में प्रत्युत्सर्जन किया जावे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शेष अन्तर की राशि के लिए फंडिंग लागत की गणना नहीं की गई है जोकि सत्यापन के समय करना प्रस्तावित किया है। ग्रामीण संभारकों के लिए नियत प्रभार, न्यूनतम प्रभार तथा न्यूनतम खपत को शहरी दरों के 50 प्र.श. के समतुल्य प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित दर पुनरीक्षण तथा पुनरीक्षित दर पर राजस्व आय का आंकलन निम्न तालिका में दर्शाया गया है:–

कोड़	उपभोक्ता श्रेणी	विक्रय (एम. यू. में)	वर्तमान टैरिफ पर राजस्व (रू. करोड़ में)	प्रस्तावित टैरिफ पर राजस्व (रू. करोड़ में)	अतिरिक्त राजस्व (रू. करोड़ में)
एलव्ही.1	घरेलू	1,803.22	615.53	738.77	123.24
एलव्ही.2	गैर–घरेलू	349.24	185.92	256.41	70.49
एलव्ही .3	जलप्रदाय–संयत्र पथ प्रकाश	198.07	67.67	88.60	20.93
एलव्ही.4	निम्नदाब–उद्योग	216.36	98.87	113.76	14.89
एलव्ही.5	निम्नदाब–कृषि	1,647.83	468.43	617.19	148.77
एलव्ही.5.2	ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित कार्य हेतु	1.34	0.44	0.51	0.07
योग (निम्नदाब)		**4,216.07**	**1,436.86**	**1,815.24**	**378.38**
एचव्ही.1	रेलवे कर्षण	457.55	218.25	279.92	61.66
एचव्ही.2	कोयला खदानें	522.63	257.14	314.69	57.55
एचव्ही.3	औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक	1,160.28	550.58	669.73	119.15
एचव्ही.4	मौसमी (सीजनल)	3.21	1.77	2.19	0.42
एचव्ही.5	सिंचाई एवं सार्वजनिक जल प्रदाय संयत्र	63.10	23.52	32.36	8.84
एचव्ही.6	विपुल आवासीय उपयोगकर्ता	317.42	121.78	149.49	27.70
एचव्ही.7	छूट प्राप्त श्रेणियों को विपुल विद्युत प्रदाय	491.79	170.14	119.74	(50.40)
योग (उच्चदाब)		**3,015.97**	**1,343.20**	**1,568.12**	**224.92**
महायोग		**7,232.04**	**2,780.05**	**3,383.36**	**603.31**

वर्ष 2009–10 के लिए माननीय आयोग के दर आदेश में निहित विभिन्न श्रेणियों की औसत प्रति यूनिट विद्युत दरों के प्रतिशत का तुलनात्मक विवरण वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित दरों से किया गया है जो निम्नानुसार है :–

कोड़	उपभोक्ता श्रेणी	2009.10 ;दर आदेश के अनुसार		2010.11 ;प्रस्तावित दरों के अनुसार	
		औसत दर (रू प्रति यनिट)	महायोग की औसत दर का प्रतिशत	औसत दर (रू प्रति यनिट)	महायोग की औसत दर का प्रतिशत
एलव्ही.1	घरेलू	3.38	88.27%	4.10	87.57%
एलव्ही.2	गैर–घरेलू	5.37	140.20%	7.34	156.94%
एलव्ही .3	जलप्रदाय–संयत्र पथ प्रकाश	3.42	89.14%	4.47	95.61%
एलव्ही.4	निम्नदाब–उद्योग	4.59	119.68%	5.26	112.39%
एलव्ही.5	निम्नदाब–कृषि	2.51	65.57%	3.75	80.06%
योग (निम्नदाब)		**3.26**	**85.01%**	**4.31**	**92.03%**
एचव्ही.1	रेलवे कर्षण	4.76	124.28%	6.12	130.77%
एचव्ही.2	कोयला खदानें	5.27	137.43%	6.02	128.71%
एचव्ही.3	औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक	4.94	128.94%	5.77	123.38%
एचव्ही.4	मौसमी (सीजनल)	7.42	193.77%	6.83	145.99%
एचव्ही.5	सिंचाई एवं सार्वजनिक जल प्रदाय संयत्र	3.68	96.08%	5.13	109.63%
एचव्ही.6	विपुल आवासीय उपयोगकर्ता	3.82	99.63%	4.71	100.67%
एचव्ही.7	छूट प्राप्त श्रेणियों को विपुल विद्युत प्रदाय	3.55	92.70%	2.43	52.04%
योग (उच्चदाब)			**120.56%**	**5.20**	**111.14%**
महायोग			**100%**	**4.68**	**100%**

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गतवर्ष की तुलना में क्रास सबसीडी कम करने का प्रयास अपने प्रस्ताव में किया है । प्रस्तावित तथा विद्यमान उपभोक्ता श्रेणीवार दरों की तुलना निम्न तालिका में दी गई है:–

(अ) निम्न दाब दर अनुसूची

(1) घरेलू

एल.व्ही. –1		प्रस्तावित				विद्यमान			
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	न्यूनतम प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	न्यूनतम प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार
		भार आधारित रू./कि. वॉ./माह या रू./ अ.श /माह	संयोजन आधारित (रू. /माह)	संयोजन आधारित (रू/माह)	रू. /यूनिट	रू./कि.वॉ. /माह या रू. अ.श. /माह	संयोजन आधारित (रू/माह)	संयोजन आधारित (रू/माह)	रू /यूनिट
सामान्य प्रकरण	0–30 यूनिट (शहरी)	–	60	–	3.25	–	30		2.65
	0–30 यूनिट (ग्रामीण)	–	30	–	3.25	–	30		2.65
	50 यूनिटों तक जहां माहवारी खपत 30 यूनिटों से अधिक हो (शहरी)		60	20	3.50		30	10	2.90
	50 यूनिटों तक जहां माहवारी		30	10	3.50		30	5	2.90

एल.व्ही. –1		प्रस्तावित				विद्यमान			
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	न्यूनतम प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	न्यूनतम प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार
		भार आधारित रू./कि. वॉ./माह या रू./ अ.श /माह	संयोजन आधारित (रू. /माह)	संयोजन आधारित (रू/माह)	रू. /यूनिट	रू./कि.वॉ. /माह या रू. अ.श. /माह	संयोजन आधारित (रू/माह)	संयोजन आधारित (रू/माह)	रू /यूनिट
	खपत 30 यूनिटों से अधिक हो (ग्रामीण)								
	51–100 यूनिट (शहरी)		60	30	3.90		30	20	3.30
	51–100 यूनिट (ग्रामीण)		30	15	3.90		30	10	3.30
	101 से 200 यूनिट (शहरी)	60	60		4.00	40	30		3.90
	101 से 200 यूनिट (ग्रामीण)	30	30		4.00	20	30		3.90
	200 यूनिट से ऊपर (शहरी)	60	60		4.55	45	30		4.00
	200 यूनिट से ऊपर (ग्रामीण)	30	30		4.55	30	30		4.00
	डी.टी.आर. मीटर	–	–	–	3.00	–	–	–	2.45
	मांग आधारित (शहरी)	25	480 यू/कि. वॉ वार्षिक		4.00				
	मांग आधारित (ग्रामीण)	13	240 यू/कि. वॉ वार्षिक		4.00				
अस्थाई (स्वयं के गृह निर्माण के लिय)	शहरी	80	500		6.00	60	350		5.00
	ग्रामीण	40	250		6.00	40	350		5.00
अस्थाई (सामाजिक/ विवाह प्रयोजनों तथा धार्मिक समारोहों के लिए	शहरी	5	500		6.00	5	350		5.00
	ग्रामीण	3	250		6.00	3	350		5.00

विशेष :

1. घोषित ग्रामीण संभारकों से संबद्ध उपभोक्ताओं हेतु नियत प्रभार एवं न्यूनतम प्रभार सामान्य प्रभारों का 50 प्रतिशत प्रस्तावित है ।
2. मांग आधारित टैरिफ प्रस्तावित किया गया है जो कि 10 कि.वा. से अधिक सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं को ऐच्छिक आधार पर तथा 18 कि.वा. से अधिक सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं को अनिवार्यतः लागू होगा
3. अतिरिक्त राजस्व – रू. 123.24 करोड़

(2) गैर घरेलू

एल.व्ही.–2		प्रस्तावित				विद्यमान			
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार

		रू. केवीए/माह	भार आधारित रू./कि.वॉ./माह या रू. अ.श./माह	संयोजन आधारित (रू./माह)	रू./यू.	रू. केवीए/माह	रू./कि.वॉ./माह या रू. अ.श./माह	संयोजन आधारित (रू./माह)	रू./यूनिट
एल.व्ही.–2.1	संयोजन भार आधारित (शहरी)		50		6.00		40		4.00
	संयोजन भार आधारित (ग्रामीण)		25		6.00		20		4.00
	मांग आधारित (शहरी)	120			6.00	96			4.00
	मांग आधारित (ग्रामीण)	60			6.00	60			4.00
एल.व्ही.–2.2	0–50 तक की खपत पर सभी यूनिटों के लिए (शहरी)		30		6.50		20		4.65
	0–50 तक की खपत पर सभी यूनिटों के लिए (ग्रामीण)		15		6.50		10		4.65
	50 यूनिटों से अधिक माहवारी खपत के लिए सभी यूनिटो पर (शहरी)		50		7.00		40		5.05
	50 यूनिटों से अधिक माहवारी खपत के लिए सभी यूनिटो पर (ग्रामीण)		25		7.00		20		5.05
	मांग आधारित (शहरी)	144			5.00	120			4.00
	मांग आधारित (ग्रामीण)	72			5.00	72			4.00
एक्स–रे	एकल फेज (शहरी)	–	–	रू. 500 प्रति मशीन	5.00	–	–	रू. 200 प्रति मशीन	2.00
	एकल फेज (ग्रामीण)	–	–	रू. 500 प्रति मशीन	5.00	–	–	रू. 200 प्रति मशीन	2.00
	तीन फेज (शहरी)	–	–	रू. 700 प्रति मशीन	7.00	–	–	रू. 300 प्रति मशीन	3.00
	तीन फेज (ग्रामीण)	–	–	रू. 700 प्रति मशीन	7.00	–	–	रू. 300 प्रति मशीन	3.00
अस्थाई (बहुबिन्दुं मेला इत्यादि को सम्मिलित कर)	शहरी	–	100	–	8.00		75		6.10
	ग्रामीण	–	50	–	8.00		45		6.10
अस्थाई (विवाह हेतू हाल/मैरि	शहरी		30		8.00	–	–	20	6.10
	ग्रामीण		15		8.00			10	6.10

एल.व्ही.–2		प्रस्तावित				विद्यमान			
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार
		रू. केवीए / माह	भार आधारित रू. / कि.वॉ. / माह या रू. अ.श. / माह	संयोजन आधारित (रू. / माह)	रू. / यू.	रू. केवीए / माह	रू. / कि.वॉ. / माह या रू. अ.श. / माह	संयोजन आधारित (रू. / माह)	रू. / यूनिट
ज गार्डन)									

विशेष :

1. घोषित ग्रामीण संभारकों से संबद्ध उपभोक्ताओं हेतु नियत प्रभार एवं न्यूनतम प्रभार सामान्य प्रभारों का 50 प्रतिशत प्रस्तावित है ।
2. शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम खपत 360 यूनिट प्रति कि.वा. प्रति वर्ष को बढ़ाकर 480 यूनिट प्रति कि.वा. प्रति वर्ष प्रस्तावित किया है ।
3. अतिरिक्त राजस्व – रू. 70.49 करोड़

(3) सार्वजनिक जल प्रदाय एवं सड़क बत्ती

एल.व्ही.–3		प्रस्तावित		विद्यमान	
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार
		भार आधारित रू. / कि. वॉ. / माह या रू. अ.श. / माह	रू. / यूनिट	रू. / कि.वॉ. / माह या रू. अ.श. / माह	रू. / यूनिट
सार्वजनिक जल प्रदाय	नगर निगम / केन्टोनमेंट बोर्ड	100	4.00	100	3.00
	नगर पालिका / नगर पंचायत	90	4.00	90	3.00
	ग्राम पंचायत	30	4.00	30	3.00
	अस्थाई	प्रयोज्य टैरिफ दर का डेढ़ गुना		प्रयोज्य टैरिफ दर का 1.3 गुना	
सड़क बत्ती	नगर निगम / केन्टोनमेंट बोर्ड	190	4.20	190	3.10
	नगर पालिका / नगर पंचायत	180	4.20	180	3.10
	ग्राम पंचायत	30	4.20	30	3.10

विशेष :

1. ऊर्जा प्रभार का 5 प्रतिशत प्रोत्साहन जो कि ऊर्जा बचत उपकरणों के लगाने पर दिया जाता है को परिवर्तित नहीं किया गया है ।
2. अतिरिक्त राजस्व – रू. 20.93 करोड़

(4)निम्नदाब उद्योग

एल.व्ही.–4		प्रस्तावित			विद्यमान		
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार
		रू. / केव्हीए / माह	भार आधारित रू. / कि.वॉ. / माह या रू. अ.श. / माह	रू. / यूनिट	रू. / केव्हीए / माह	रू. / कि. वॉ. / माह या रू. अ.श. / माह	रू. / यूनिट
25 अ.श. तक	औद्योगिक (शहरी)		60	3.60		45	3.25
	औद्योगिक (ग्रामीण)		30	3.60		10	3.25
	मांग आधारित	144		3.50	132		4.15

एल.व्ही.–4		प्रस्तावित			विद्यमान		
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार
		रू. / केव्हीए / माह	भार आधारित रू. / कि.वॉ. / माह या रू. अ.श. / माह	रू. / यूनिट	रू. / केव्हीए / माह	रू. / कि. वॉ. / माह या रू. अ.श. / माह	रू. / यूनिट
	(शहरी)						
	मांग आधारित (ग्रामीण)	72		3.50	50		4.15
25 से अधिक 100 अ.श. तक	मांग आधारित (शहरी)	144		4.50	132		4.15
	मांग आधारित (ग्रामीण)	72		4.50	50		4.15
100 अ.श से अधिक	मांग आधारित (शहरी)	176		5.00	176		4.30
	मांग आधारित (ग्रामीण)	176		5.00	176		4.30
अस्थायी		प्रयोज्य टैरिफ दर का डेढ़ गुना			प्रयोज्य टैरिफ दर का 1.3 गुना		
मौसम के दौरान		गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें			गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें		
मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के दौरान		गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें, निविदा मांग के 10 प्रतिशत पर (अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग, जो भी अधिक हो)		गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य टैरिफ दर का 120 प्रतिशत	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य टैरिफ दरें, निविदा मांग के 10 प्रतिशत पर (अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग, जो भी अधिक हो)		गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य टैरिफ दर का 120 प्रतिशत

विशेष :

1. घोषित ग्रामीण संभारकों से संबद्ध उपभोक्ताओं हेतु नियत प्रभार एवं न्यूनतम प्रभार सामान्य प्रभारों का 50 प्रतिशत प्रस्तावित है ।
2. शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम खपत 360 यूनिट प्रति कि.वा. प्रति वर्ष को बढ़ाकर 480 यूनिट प्रति कि.वा. प्रति वर्ष प्रस्तावित किया है ।
3. अतिरिक्त राजस्व – रू. 14.89 करोड़

(5) कृषि कार्यो हेतु सिंचाई पम्प

एल.व्ही.–5.1	प्रस्तावित		विद्यमान	
उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार रू. / यूनिट		ऊर्जा प्रभार रू. / यूनिट	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
प्रथम 300 यूनिट	3.30	3.30	2.50	2.50
शेष यूनिट	3.95	3.95	3.00	3.00
अस्थाई	4.60	4.60	3.50	3.50
वितरण ट्रांसफार्मर मीटर से	3.00	3.00	2.25	2.25
अमीटरीकृत स्थाई कनेक्शनों की माहवारी खपत की गणना के मानदंड (यूनिट प्रतिमाह)				
एकल फेस (अप्रैल से जून)	135	175	100	130
एकल फेस (जुलाई से सितम्बर)	60	90	50	70
एकल फेस (अक्टूबर से मार्च)	135	175	130	170

एल.व्ही.–5.1	प्रस्तावित		विद्यमान	
उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार रू./यूनिट		ऊर्जा प्रभार रू./यूनिट	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
तीन फेस (अप्रैल से जून)	125	150	100	130
तीन फेस (जुलाई से सितम्बर)	50	75	40	70
तीन फेस ((अक्टूबर से मार्च)	125	150	120	150
अमीटरीकृत अस्थाई कनेक्श्नों की माहवारी खपत की गणना के मानदंड (यूनिट प्रतिमाह)				
एकल फेस	175	200	170	190
तीन फेस	160	175	155	175

एल.व्ही.–5.2	प्रस्तावित			विद्यमान		
उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार	नियत प्रभार भार आधारित रू/अ.श./केवीए/कि.वॉ./माह		ऊर्जा प्रभार	नियत प्रभार भार आधारित रू/अ.श./केवीए/कि.वॉ./माह	
	रू./यूनिट	ग्रामीण	शहरी	रू./यूनिट	ग्रामीण	शहरी
25 अ.श. तक	3.60	रू 60/अ.श.	रू 30/अ.श.	3.20	रू 45/अ.श.	रू 10/अ.श.
मॉग आधारित 25 अ.श. तक	3. 50	रू 144/केवीए	रू 72/केवीए	4.10	रू 120/केवीए	रू 52/केवीए
मॉग आधारित 25–100 अ.श. तक	4.50	रू 144/केवीए	रू 72/केवीए	4.10	रू 120/केवीए	रू 52/केवीए

विशेष :

1. ऊर्जा प्रभार पर प्रोत्साहन जो कि ऊर्जा बचत उपकरणों के लगाने पर दिया जाता है को परिवर्तित नहीं किया गया है ।
2. अतिरिक्त राजस्व – रू. 148.84 करोड़

निम्न दाब हेतु सामान्य शर्ते :

1. मांग आधारित समस्त निम्न दाब उपभोक्ताओं को प्रयोज्य भार कारक रियायत जो 25 प्रतिशत से ऊपर भार कारक पर दिया जाता था को परिवर्तित नहीं किया गया है ।
2. मांग आधारित समस्त निम्न दाब उपभोक्ताओं को प्रयोज्य 85 प्रतिशत से ऊपर ऊर्जा कारक वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा कारक प्रोत्साहन को परिवर्तित नहीं किया गया है ।
3. मांग आधारित समस्त निम्न दाब उपभोक्ताओं से दिवस के समय अधिभार /छूट हेतु प्रस्तावित किया गया है ।
4. यह प्रस्तावित किया गया है कि माह में स्वीकृत भार से अधिक मांग यदि कोई है तो नियत प्रभार के दोगुने के दर से प्रयोज्य होगी । ऐसे प्रकरणों में रियायत /प्रोत्साहन अधिक मांग पर लागू नहीं होंगे जबकि अधिभार/पेनाल्टी लागू होंगे । यह भी प्रस्तावित किया गया है कि इस अधिक मांग के समतुल्य की यूनिटों को ऊर्जा प्रभार हेतु प्रयोज्य सामान्य दरों के दोगुने के अनुसार बिल किए जायेंगे।
5. यदि अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक अभिलिखित की जाती है तो ऐसी दशा में संविदा मांग से अधिकतम मांग के अंतर की मांग पर विद्यमान 1.5 गुना की जगह 2 गुना दर से स्थाई प्रभार तथा समानुपातिक खपत पर ऊर्जा प्रभार लागू करने का प्रस्ताव है। ऐसे प्रकरणों में सामान्य शर्ते एवं निबंधन में दी गई अन्य छूट या प्रोत्साहन देय नही होंगे तथापि शास्ति अथवा अधिभार, यदि कोई हो तो, लागू होंगे।

(ब) उच्च दाब अनुसूची

(1) रेल्वे कर्षण

एच.व्ही.–1		प्रस्तावित		विद्यमान	
	उप श्रेणी	नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार	नियत प्रभार	ऊर्जा प्रभार

		रू / केवीए / माह	रू / यूनिट	रू / केवीए / माह	रू. / यूनिट
रेल्वे कर्षण	220 केव्ही पर आपूर्ति	425	4.25	निरंक	4.77
	132 केव्ही पर आपूर्ति	425	4.25	निरंक	4.77

विशेष :

1. टू पार्ट टैरिफ प्रस्तावित किया गया है ।
2. न्यूनतम खपत हेतु ऊर्जा कारक 0.90 या वास्तविक जो अधिक है के अनुसार प्रस्तावित है ।
3. 90 प्रतिशत से नीचे ऊर्जा कारक पर अधिभार प्रस्तावित किया है ।
4. अतिरिक्त राजस्व – रू. 61.66 करोड़

(2) कोयला खदाने

ए.व्ही.–2		प्रस्तावित			विद्यमान		
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	50ः लोड फेक्टर तक ऊर्जा प्रभार	50ः लोड फेक्टर से अधिक पर ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	50ः लोड फेक्टर तक ऊर्जा प्रभार	50ः लोड फेक्टर से अधिक पर ऊर्जा प्रभार
		रू. / केव्हीए / माह	रू. / यूनिट	रू. / यूनिट	रू. / केव्हीए / माह	रू. / यूनिट	रू. / यूनिट
कोयला खदाने	220 केव्ही आपूर्ति	410	4.80	4.00	400	3.80	3.15
	132 केव्ही आपूर्ति	400	4.95	4.20	390	3.90	3.23
	33 केव्ही आपूर्ति	395	5.15	4.40	385	4.05	3.38
	11 केव्ही आपूर्ति	390	5.35	4.60	380	4.30	3.60

विशेष :

1. न्यूनतम खपत की गणना के लिए 0.90 या वास्तविक पावर फेक्टर जो भी ज्यादा हो लागू होगा । 220 के.व्ही एवं 132 के.व्ही उपभोक्ता को संविदा मांग के 25 प्रतिशत लोड फेक्टर के अनुरूप न्यूनतम वार्षिक खपत रखना प्रस्तावित है एवं 33 के.व्ही तथा 11 के.व्ही उपभोक्ता के लिए 15 प्रतिशत लोड फेक्टर के अनुरूप न्यूनतम वार्षिक खपत रखना प्रस्तावित है ।
2. पावर फेक्टर 90 प्रतिशत से कम होने पर अधिभार प्रस्तावित है।
3. अतिरिक्त राजस्व – रू. 57.55 करोड़

(3) औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक

एच.व्ही.–3		प्रस्तावित			विद्यमान		
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	50ः लोड फेक्टर तक ऊर्जा प्रभार	50ः लोड फेक्टर से अधिक पर ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	50ः लोड फेक्टर तक ऊर्जा प्रभार	50ः लोड फेक्टर से अधिक पर ऊर्जा प्रभार
		रू. / केव्हीए / माह	रू. / यूनिट	रू. / यूनिट	रू. / केव्हीए / माह	रू. / यूनिट	रू. / यूनिट
औद्योगिक	220 केव्ही आपूर्ति	425	4.10	3.20			
	132 केव्ही आपूर्ति	390	4.30	3.50	340	3.50	3.00
	33 केव्ही आपूर्ति	300	4.65	3.60	250	3.80	3.15
	11 केव्ही आपूर्ति	200	4.90	3.85	160	4.00	3.35
गैर औद्योगिक	220 केव्ही आपूति	415	4.20	3.30			
	132 केव्ही आपूति	380	4.40	3.60	300	3.70	3.15
	33 केव्ही आपूर्ति	290	4.75	3.75	200	4.00	3.30
	11 केव्ही आपूर्ति	190	5.00	4.00	120	4.30	3.60

शॉपिंग मॉल	220 केव्ही आपूर्ति	425	4.25	3.35			
	132 केव्ही आपूति	390	4.45	3.65			
	33 केव्ही आपूर्ति	300	4.80	3.80	205	4.15	3.50
	11 केव्ही आपूर्ति	200	5.10	4.10	125	4.45	3.80

विशेष :

1. न्यूनतम खपत की गणना के लिए 0.90 या वास्तविक पावर फेक्टर जो भी ज्यादा हो लागू होगा । 220 के.व्ही एवं 132 के.व्ही उपभोक्ता को संविदा मांग के 25 प्रतिशत लोड फेक्टर के अनुरूप न्यूनतम वार्षिक खपत रखना प्रस्तावित है एवं 33 के.व्ही तथा 11 के.व्ही उपभोक्ता के लिए 15 प्रतिशत लोड फेक्टर के अनुरूप न्यूनतम वार्षिक खपत रखना प्रस्तावित है ।
2. अतिरिक्त राजस्व – रू. 119.15 करोड़

(4)मौसमी

एच.व्ही.–4		**प्रस्तावित**			**विद्यमान**		
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	50ः लोड फेक्टर तक ऊर्जा प्रभार	50ः लोड फेक्टर से अधिक पर ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	50ः लोड फेक्टर तक ऊर्जा प्रभार	50ः लोड फेक्टर से अधिक पर ऊर्जा प्रभार
		रू.केवीए / माह	रू. / यूनिट	रू. / यूनिट	रू. / केव्हीए / माह	रू. / यूनिट	रू. / यूनिट
मौसमी	33 केव्ही आपूर्ति	275	4.75	4.35	200	4.00	3.35
	11 केव्ही आपूर्ति	260	4.90	4.50	180	4.20	3.55
गैरमौसमी	33 केव्ही आपूर्ति	संविदा मांग (अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो) के 10 प्रतिशत पर, रूपये 275	5.70 अर्थात्, सामान्य ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नही	संविदा मांग (अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो) के 10 प्रतिशत पर, रूपये 200	4.80 अर्थात्, सामान्य ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नही
	11 केव्ही आपूर्ति	संविदा मांग (अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो) के 10 प्रतिशत पर, रूपये 260	5.88 अर्थात्, सामान्य ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नही	संविदा मांग (अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो) के 10 प्रतिशत पर, रूपये 180	5.04 अर्थात्, सामान्य ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नही

विशेष :

1. न्यूनतम खपत की गणना के लिए 0.90 या वास्तविक पावर फेक्टर जो भी ज्यादा हो लागू होगा । उपभोक्ता को संविदा मांग के 11 प्रतिशत लोड फेक्टर के अनुरूप न्यूनतम वार्षिक खपत रखना प्रस्तावित है।
2. अतिरिक्त राजस्व – रू. 0.42 करोड़

(5) उच्च दाब सिंचाई, सार्वजनिक जल प्रदाय तथा कृषि के अतिरिक्त

एच.व्ही.–5		**प्रस्तावित**		**विद्यमान**	
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार
		रू. / केव्हीए / माह	रू. / यूनिट	रू. / केव्हीए / माह	रू. / यूनिट
सार्वजनिक जल प्रदाय सयंत्र, समूह सिचाई तथा	132 केव्ही आपूर्ति	250	4.00	150	2.85
	33 केव्ही आपूर्ति	225	4.15	130	3.15

एच.व्ही.–5		प्रस्तावित		विद्यमान	
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार
		रू. /केव्हीए/माह	रू./यूनिट	रू. /केव्हीए/माह	रू./यूनिट
उद्वहन सिंचाई योजना	11 केव्ही आपूर्ति	200	4.25	120	3.35
अन्य कृषि उपभोक्ता	132 केव्ही आपूर्ति	275	4.10	160	3.00
	33 केव्ही आपूर्ति	250	4.40	150	3.20
	11 केव्ही आपूर्ति	225	4.50	140	3.40

विशेष :

1. न्यूनतम खपत की गणना के लिए 0.90 या वास्तविक पावर फेक्टर जो भी ज्यादा हो लागू होगा । उपभोक्ता को संविदा मांग के 9 प्रतिशत लोड फेक्टर के अनुरूप न्यूनतम वार्षिक खपत रखना प्रस्तावित है।
2. अतिरिक्त राजस्व – रू. 8.84 करोड़

(6) विपुल आवासीय प्रयोक्ता

एच.व्ही.–6		प्रस्तावित		विद्यमान		
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	50: लोड फेक्टर तक ऊर्जा प्रभार	50: लोड फेक्टर से अधिक पर ऊर्जा प्रभार
		रू. /केव्हीए/माह	रू. /यूनिट	रू. /केव्हीए/माह	रू./यूनिट	रू./यूनिट
6.1 विपुल आवासीय प्रयोक्ता	132 केव्ही. आपूर्ति	250	4.00	140	3.30	2.70
	33 केव्ही आपूर्ति	225	4.25	130	3.50	2.90
	11 केव्ही आपूर्ति	200	4.50	120	3.70	3.10
6.2 आवासीय सोसायटी	132 केव्ही आपूर्ति	200	4.10	50	3.20	2.80
	33 केव्ही आपूर्ति	175	4.35	50	3.30	2.90
	11 केव्ही आपूर्ति	150	4.60	50	3.35	3.00

विशेष :

1. न्यूनतम खपत की गणना के लिए 0.90 या वास्तविक पावर फेक्टर जो भी ज्यादा हो लागू होगा । उपभोक्ता को संविदा मांग के 10 प्रतिशत लोड फेक्टर के अनुरूप न्यूनतम वार्षिक खपत रखना प्रस्तावित है।
2. भार कारक प्रोत्साहन नहीं दिये जाने बाबत् प्रस्तावित है ।
3. अतिरिक्त राजस्व – रू. 27.70 करोड़

(7) छूट प्राप्त श्रेणियों को विपुल विद्युत प्रदाय (ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति को छोड़कर)

एच.व्ही.–7		प्रस्तावित		विद्यमान	
	उप श्रेणी	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	ऊर्जा प्रभार
		रू. /केव्हीए/माह	रू./यूनिट	रू./केव्हीए/माह	रू./यूनिट
	ग्रामीण सहकारी समिति	50	2.25	165	2.85
	ग्रामीण मिश्रित घरेलू एवं कृषि उपयोग	60	2.30	60	2.20

	शहरी मिश्रित घरेलू एवं गैर घरेलू उपयोग	200	3.25	110	2.70

विशेष :

1. दिवस के समय पर आधारित अधिभार/छूट को वापस लेने हेतु प्रस्तावित है ।
2. अतिरिक्त राजस्व – रू. –50.40 करोड़

उच्च दाब हेतु सामान्य शर्ते :

1. भार कारक की गणना हेतु प्रस्तावित किया गया है कि ऊर्जा कारक 0.9 या वास्तविक जो अधिक है लिया जाए ।
2. यह प्रस्तावित किया गया है कि माह में स्वीकृत भार से अधिक मांग यदि कोई है तो नियत प्रभार के दोगुने के दर से प्रयोज्य होगी । ऐसे प्रकरणों में रियायत /प्रोत्साहन अधिक मांग पर लागू नहीं होंगे जबकि अधिभार/पेनाल्टी लागू होंगे । यह भी प्रस्तावित किया गया है कि इस अधिक मांग के समतुल्य की यूनिटों को ऊर्जा प्रभार हेतु प्रयोज्य सामान्य दरों के दोगुने के अनुसार बिल किए जायेंगे ।

वे व्यक्ति जो टैरिफ प्रस्तावों के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज करना अथवा टीप देना चाहें वे आपत्तियों संबंधी विवरण–पत्र (स्टेटमेंट) अथवा टीप अथवा सुझाव के साथ–साथ इनके समर्थन में अभिलेखों की प्रतियां तथा साक्ष्य सीधे **आयोग सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, चतुर्थ एवं पंचम तल, मेट्रो प्लाजा ई–5 अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–4620146** को तथा **अतिरिक्त मुख्य अभियंता (वाणिज्य–ट्रेक), कार्यालय अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक म.प्र.पू..क्षे.वि.वि.कं. लिमि. ब्लॉक नं.7, शक्तिभवन, रामपुर जबलपुर** को प्रतिलिपि देते हुए प्रेषित कर सकते हैं जो कि 23/03/2010 तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। आपत्तियों/टीप/सुझावों की अग्रिम प्रतियां फैक्स (0755–2430158) तथा ई–मेल (secmperc@sancharnet.in) पर भी या नियामक आयोग के पते पर भी डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

याचिका की प्रति की प्राप्ति हेतु किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इसे दिनांक 03/03/2010 से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा वितरण कंपनी के जबलपुर स्थित मुख्यालय तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के जबलपुर, रीवा तथा सागर कार्यालयों से रू. 300/– नगद द्वारा अथवा क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, जबलपुर वृत्त, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति डाक द्वारा भी, मूल याचिका हेतु रू. 50/– के अतिरिक्त डाक व्यय के भुगतान द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है ।

सुनवाई का स्थल, दिनांक एवं समय तथा प्रकार आयोग द्वारा नियत किये जायेंगे, जिसकी सूचना उन व्यक्तियों को व्यक्तिशः प्रेषित किये जाएंगे जिन्होंने आपत्ति/सुझाव आयोग को प्रेषित किये हैं ।

याचिका तथा टैरिफ प्रस्ताव की प्रति वितरण कंपनी की वेब साइट mpez-electricity-discom.nic.in तथा नियामक आयोग की वेब साईट www.mperc.org पर भी उपलब्ध है।

आयोग के आदेशानुसार
आयोग सचिव